रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1005] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 21, 2010/वैशाख 31, 1932
No. 1005] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 31, 2010/VAISAKHA 31, 1932

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 मई, 2010

का.आ. 1215(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

आदेश
नई दिल्ली, 19 मई, 2010

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने 2004 में निर्वाचन याचिका सं. 1 के संबंध में तारीख 31 अक्तूबर, 2006 के अपने निर्णय में, अन्य बातों के साथ, 10 मई, 2004 को हुए निर्वाचन में सं. 12-मुवत्तुपुझा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी, प्रथम प्रत्यर्थी अर्थात् श्री पी. सी. थामस के निर्वाचन को शून्य घोषित किया था और आगे उसी निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम प्रत्यर्थी अर्थात् श्री पी. सी. थामस के स्थान पर याची अर्थात् श्री पी. एम. इस्माइल को निर्वाचित घोषित किया था;

और अपीलार्थी श्री पी. सी. थामस द्वारा फाइल की गई 2006 की सिविल अपील संख्या 5033 में उच्चतम न्यायालय ने तारीख 4 सितंबर, 2009 के अपने निर्णय के पैरा 29 में, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :

"..... निर्वाचन याची और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समुचितरूपेण विचार करने पर, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि निर्वाचन याची ने अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए स्वीकार्य, संतोषजनक और विश्वसनीय साक्ष्य

प्रस्तुत किया है ।"; और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा 31 में, अन्य बातों के साथ, निम्नानुसार यह और संप्रेक्षण किया है कि :-

"..... हमें इस अपील में कोई दम दिखाई नहीं देता है । उसे तदनुसार खारिज किया जाता है किंतु मामले की परिस्थितियों में, हम इस अपील में उपगत खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं करते हैं ।"

और राष्ट्रपति ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन 27 नवंबर, 2009 को इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्री पी. सी. थामस (पूर्व लोक सभा सदस्य) को उक्त अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए ;

और निर्देश, निर्वाचन अपील (2006 की सिविल अपील सं. 5033 - पी. सी. थामस बनाम पी. एम. इस्माइल और अन्य) में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 सितंबर, 2009 के उस निर्णय के अनुसरण में उद्भूत होता है, जिसके द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2004 की निर्वाचन याचिका सं. 1 (पी. एम. इस्माइल बनाम पी. सी. थामस और अन्य) में केरल उच्च न्यायालय के तारीख 31 अक्तूबर, 2006 के निर्णय को मान्य ठहराया था, जिसमें 14वीं लोक सभा के लिए श्री पी. सी. थामस के निर्वाचन को उक्त अधिनियम की धारा 123 की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन भ्रष्ट आचरण के आधारों पर, चुनौती दी गई थी ;

और जैसा उच्चतम न्यायालय द्वारा मान्य ठहराया गया है, केरल उच्च न्यायालय के सुस्पष्ट निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि श्री पी. सी. थामस ने उक्त अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया है और श्री पी. सी. थामस द्वारा किए गए निवेदन पर भी, स्थिति की समग्रता पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग की यह सुविचारित राय है कि न्याय के उद्देश्यों और साम्या की उचित रुप से पूर्ति तभी हो पाएगी, यदि श्री पी. सी. थामस को राष्ट्रपति के आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाए ;

और निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन अपनी यह राय (इस आदेश के उपाबंध के रुप में उपाबद्ध निर्वाचन आयोग की राय) दी है कि श्री पी. सी. थामस को उक्त धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रपति आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और निर्वाचन आयोग की पूर्वोक्त राय को ध्यान में रखते हुए एतत्द्वारा यह विनिश्चय करती हूं कि श्री पी. सी. थामस को राजपत्र में यथा प्रकाशित इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित किया जाता है ।

भारत की राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष

कोरम :

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(वी0 एस0 संपत)	(नवीन बी. चावला)	(डा. एस0 वाई0 कुरैशी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

2009 का निर्देश मामला सं0 1 (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम)

[लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क(3) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश]

संदर्भ : केरल में मुवात्तुपुझा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोक सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री पी.सी. थामस की निरर्हता ।

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में '1951 - अधिनियम') की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री पी.सी. थामस (भूतपूर्व लोक सभा सदस्य) को उक्त 1951 - अधिनियम की धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए, यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए ।

2. निर्देश निर्वाचन अपील (2006 की सिविल अपील सं. 5033 - पी.सी. थामस बनाम पी.एम. इस्माइल और अन्य) में उच्चतम न्यायालय के तारीख 4 सितंबर, 2009 के उस निर्णय के अनुसरण में उद्भूत होता है, जिसके द्वारा उच्चतम न्यायालय ने 2004 की निर्वाचन याचिका सं. 1 (पी.एम. इस्माइल बनाम पी.सी. थामस और अन्य) में केरल उच्च न्यायालय के तारीख 31 अक्तूबर, 2006 के निर्णय को मान्य ठहराया है । याची (श्री पी.एम. इस्माइल) ने 1951 - अधिनियम की धारा 123

की उपधारा (3) और उपधारा (5) के अधीन भ्रष्ट आचरण के आधार पर, 2004 में केरल के 12 - मुवात्तुपुझा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 14वीं लोक सभा के लिए श्री पी.सी. थामस के निर्वाचन को चुनौती दी थी ।

3. निर्वाचन याचिका में मुख्य अभिकथन निम्नलिखित थे :-

(i) श्री थामस के अभिकर्ताओं और कार्यकर्ताओं ने, उनकी सम्मति से, ऐसी निर्वाचन सूचना/पुस्तिका मुद्रित, प्रकाशित और वितरित की थीं, जिनमें श्री थामस को कैथोलिक समुदाय के नेता के रूप में वर्णित किया गया था और जिनमें उनके लिए समर्थन मांगा गया था और विनती की गई थी और एक केलैण्डर भी, जिसमें पोप जान पाल द्वितीय का चित्र मदर टैरेसा के सौंदर्यीकरण समारोह में श्री थामस की उपस्थिति की फोटो के साथ मुद्रित किया गया था, जो 1951 - अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण की कोटि में आते हैं ।

(ii) श्री थामस के कार्यकर्ताओं ने, उनकी सम्मति से, मतदान दिवस को निर्वाचकों के निःशुल्क प्रवहण के लिए यानों को भाड़े पर लिया था, जो 1951 - अधिनियम की धारा 123(5) के अधीन भ्रष्ट आचरण है ।

4. केरल उच्च न्यायालय ने, तारीख 31 अक्तूबर, 2006 के अपने आदेश द्वारा उपरोक्त दोनों आधारों पर श्री थामस को भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया था और 2004 में केरल के 12 - मुवात्तुपुझा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उनका निर्वाचन अपास्त कर दिया था । निर्देश की सुविधा के लिए, 1951 - अधिनियम की उक्त धारा 123 की उपधारा (3) और उपधारा (5) को नीचे उद्धृत करना उपयोगी होगा :-

"123. भ्रष्ट आचरण - निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे :-

X X X X X X X

(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी

या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई :

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आबंटित कोई प्रतीक इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा ।

X X X X X X X

(5) धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचक के मुफ्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना :

परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवाहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया है, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से चालित न होने वाला है तो ऐसे यान या जलयान के भाड़े पर लिए जाने की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह भ्रष्ट आचरण है :

परन्तु यह और कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण है ।

स्पष्टीकरण—इस खण्ड में "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है, जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है, चाहे वह यांत्रिक

शक्ति से या अन्यथा चालित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो ।"

5. श्री थामस ने उच्च न्यायालय के तारीख 31 अक्तूबर, 2006 के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्वाचन अपील फाइल की थी । अपील को ग्रहण करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने 24 नवंबर, 2006 को उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध संसद् सत्रों में उपस्थित होने के लिए, किंतु मताधिकार के बिना और कोई परिलब्धियां प्राप्त करने के बिना, श्री थामस को अनुज्ञात करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध सशर्त रोक प्रदान की थी ।

6. उच्चतम न्यायालय ने, तारीख 4 सितंबर, 2009 के अपने अन्तिम आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के विनिश्चय को मान्य ठहराया था और श्री थामस की अपील को खारिज कर दिया था । अंतिम आदेश में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :

" ..... निर्वाचन याची और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर समग्रतावपूर्वक विचार करने पर, हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि निर्वाचन याची ने अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप स्थापित करने के लिए अकाट्य, संतोषजनक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है ।"

7. धारा 123(5) के अधीन भ्रष्ट आचरण के दूसरे मुद्दे पर, उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि पहले मुद्दे पर हुए निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, दूसरे मुद्दे पर विचार करना आवश्यक नहीं है ।

8. भारत के राष्ट्रपति ने 1951 - अधिनियम की धारा 8क(3) के निबंधनानुसार 27 नवंबर, 2009 को इस प्रश्न पर आयोग की राय मांगी है कि क्या श्री थामस को निरर्हित किया जाना चाहिए यदि हां, तो कितनी अवधि के लिए ।

9. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क नीचे उद्धृत की गई है :-

"8क. भ्रष्ट आचरण के आधार पर निरर्हता :-

(1) धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा भ्रष्ट आचरण के दोषी ठहराए गए प्रत्येक व्यक्ति

का मामला, उस आदेश के प्रभावशील होने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इस प्रश्न का अवधारण करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा कि क्या ऐसा व्यक्ति निरर्हित किया जाए और यदि किया जाए तो कितनी कालावधि के लिए :

परन्तु वह कालावधि, जिसके लिए कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन निरर्हित किया जा सकेगा, किसी भी दशा में उस तारीख से छह वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसको धारा 99 के अधीन उसके संबंध में किया गया आदेश प्रभावशील होता है ।

(2) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम की धारा 8क के अधीन, जैसी कि वह निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 (1975 का 40) के आरम्भ के ठीक पहले थी, निरर्हित हो गया है, यदि ऐसी निरर्हता की कालावधि समाप्त नहीं हो गई है तो, उक्त कालावधि के शेष भाग के लिए ऐसी निरर्हता के हटाए जाने के लिए राष्ट्रपति को अर्जी प्रस्तुत कर सकेगा । [यह उपधारा अब लागू नहीं होती है]

(3) उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रश्न या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी अर्जी पर अपना विनिश्चय देने से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से किसी ऐसे प्रश्न और अर्जी पर राय लेगा और उस राय के अनुसार कार्य करेगा ।"

10. इस प्रकार, आयोग द्वारा दी गई राय इन दो प्रश्नों के संबंध में है कि (i) क्या श्री थामस पर कोई निरर्हता अधिरोपित की जानी चाहिए, और (ii) यदि हां, तो निरर्हता की अवधि कितनी होनी चाहिए ।

11. आयोग ने 23 दिसंबर, 2009 को श्री थामस को उनसे यह कहते हुए एक सूचना जारी की थी कि वे अपना लिखित कथन फाइल करें और 26 फरवरी, 2010 को मामले की सुनवाई भी नियत की थी । श्री थामस ने अपने लिखित कथन में यह निवेदन किया था कि उन्होंने वर्ष 1989 से उसी निर्वाचन क्षेत्र से लगातार छह लोक सभा निर्वाचनों में भारी अंतर से विजय प्राप्त की थी और वर्ष 1991 में भी श्री इस्माइल (निर्वाचन याची) को पराजित किया था । उन्होंने यह निवेदन किया कि उनकी पूर्वत्तर कोई भी जीत साम्प्रदायिक प्रतिफलों पर आधारित नहीं थी । उन्होंने धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण की प्रकृति, विस्तार और गंभीरता पर विचार करते हुए उदार

दृष्टिकोण अपनाने के लिए निम्नलिखित का शमनकारी परिस्थितियों के रूप में यह और अभिवाक् किया था :

क प्रश्नगत निर्वाचन सूचना/पुस्तिकाओं में विरोधी अभ्यर्थियों सहित किसी अन्य व्यक्ति या किसी धार्मिक समुदाय के प्रति किसी प्रकार के अनादर सूचक निर्देश अंतर्विष्ट नहीं थे । सूचना में धर्म के आधार पर भी मत नहीं मांगे गए थे ।

ख पुस्तिकाओं और उनकी अंतर्वस्तु उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति (श्री जान कांचीरमाट्टम) द्वारा लिखी गई थी । सूचना और उसकी अंतर्वस्तु के लिए उनकी सम्मति, उच्चतम न्यायालय को नहीं पाई गई है ।

ग पुस्तिका में उनके धर्म/समुदाय के आधार पर मतों के लिए सीधा अनुरोध अंतर्विष्ट नहीं था । सूचना में केवल उनके लिए 'प्रार्थनीय समर्थन' के लिए और अनुरोध किया गया था न कि मतों के लिए ।

घ विचारण में, उनकी ओर से सूचना के मुद्रण के संबंध में निर्वाचन याची के अभिकथन का उस प्रेस, (जहां सूचना मुद्रित किए जाने का अभिकथन किया गया था) के स्वामी द्वारा इंकार किया गया था । प्रदर्श-पी 1 के वितरण के लिए प्रस्तुत साक्ष्य केवल दस लाख से अधिक मतदाताओं वाले विशाल निर्वाचन क्षेत्र में से अत्यंत सीमित क्षेत्र में ही वितरण की ओर संकेत करता है ।

(ङ) पुस्तिका में उनके द्वारा केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए दी गई सेवाओं और उनके प्रतिनिधियों के रूप में संघटकों का ही उल्लेख किया गया था तथा उनमें विशेष रूप से उल्लिखित क्रियाकलापों को गत समय में भिन्न-भिन्न अवसरों पर मीडिया में अधिकतर रिपोर्ट किया गया था ।

(च) उच्चतम न्यायालय ने धारा 123(5) के अधीन भ्रष्ट आचरण के अभिकथन पर विचार नहीं किया था । यह सत्य है कि इस भ्रष्ट आचरण से संबंधित अभिकथन निर्वाचन क्षेत्र में बहुत छोटे क्षेत्र तक ही सीमित था ।

12. 26 फरवरी, 2010 को हुई सुनवाई में, श्री थामस व्यक्तिगत रूप से उपसंजात हुए थे ।

उनके निवेदन, जिनमें से अधिकांश को पहले ही उनके लिखित निवेदनों में निरूपित कर दिया गया था, निम्नानुसार थे :-

(i) उन्होंने मुवातुपुझा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से छह बार निर्वाचन लड़ा था और उसे जीता था, पहले पांच निर्वाचन काफी अच्छे अंतर से जीते थे। 2004 के अंतिम निर्वाचन में, उन्होंने केरल में दलों के दो मुख्य गठबंधनों अर्थात् यूडीएफ और एलडीएफ का भाग बने बिना निर्वाचन लड़ा था और फिर भी निर्वाचन, भले ही बहुत थोड़े अंतर से, जीता था । संगत निर्वाचन जीत निर्वाचकों में उनकी लोकप्रियता और स्वीकार्यता का संकेत है और ये किसी धार्मिक या संप्रदायिक प्रतिकलों के कारण नहीं हैं ।

(ii) उन्होंने कभी भी निर्वाचन जीतने के लिए कोई धार्मिक/सांप्रदायिक चाल नहीं चली है । ऐसे ईसाई मिशनरियों की, जिन पर हमले हुए थे, की सहायता करने के लिए मध्य प्रदेश में उनका दौरा, जिसका निर्वाचन याचिका में निर्दिष्ट सूचना में उल्लेख किया गया था, एक ऐसा तथ्य था, जिसे सुसंगत समय पर मीडिया में रिपोर्ट किया गया था । दौरे में ऐसा कुछ नहीं था, जो निर्वाचन के संबंध में किया गया था ।

(iii) उन्होंने अन्य धर्मों के व्यक्तियों के मुद्दे भी उठाए हैं । उन्होंने ऐसे कुछ कारणों का उल्लेख किया है और उन्हें निर्दिष्ट किया है, जिनको उन्होंने सबरीमाला मंदिर में सुविधाओं को सुधारने के लिए, हज तीर्थ यात्रियों के लिए और अजमेर में मंदिर, आदि के लिए सांसद के रूप में कार्य किया था । उन्होंने निवेदन किया कि उनके पूर्व के क्रियाकलापों और आचरण से उनकी धर्मनिरपेक्ष आस्था सिद्ध होती है ।

(iv) वह सूचना/पुस्तिका, जिसे उच्च न्यायालय के आदेश में और उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिशंसी दस्तावेज के रूप में अभिनिर्धारित किया गया था, केवल उसी अच्छे कार्य को दर्शाता है जो पूर्व में किया था । उन्होंने निवेदन किया था कि उसे उनकी सम्मति से मुद्रित नहीं किया गया था । निर्वाचन याचिका में अभिकथन को देखते हुए, सूचना की केवल की 5000 प्रतियां मुद्रित करवाई थी, जो दस लाख से

अधिक मतदाताओं वाले निर्वाचन क्षेत्र में एक नगण्य संख्या है, और लगभग 5 ही व्यक्तियों ने यह कथन किया है कि उन्होंने सूचना/पुस्तिका प्राप्त की थी ।

(v) निर्वाचन याचिका में उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने अप्रैल-मई, 2009 में हुए गत संसदीय निर्वाचन नहीं लड़ा था, यद्यपि इसके विरुद्ध अपील तब भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित थी । इस प्रकार, वे एक साधारण निर्वाचन में परिणाम पहले ही भुगता चुके हैं ।

(vi) उन्होंने कोई वेतन/ परिलब्धियां / भत्ते प्राप्त किए बिना, नवंबर, 2006 से प्रारंभ होने वाली अपनी पदावधि के बृहत भाग के लिए संसद सदस्य के कर्तव्यों का पालन किया था ।

13. उपरोक्त आधारों पर, श्री थामस ने यह निवेदन किया कि उन्हें निर्रहता से मुक्त किया जाना चाहिए या कम से कम, निरर्हता, यदि अधिरोपित की जाए, अल्पावधि तक सीमित होनी चाहिए । श्री थामस को एक सप्ताह के भीतर अपने लिखित तर्क फाइल करने के लिए अनुज्ञात किया गया था, जिसे उन्होंने अपने पूर्वोक्त मौखिक निवेदन को पुनः दोहराते हुए 5 मार्च, 2010 को फाइल किया था ।

14. आयोग ने, श्री पी.सी.थामस द्वारा 26 फरवरी, 2010 को सुनवाई के समय मौखिक रूप से और साथ ही तारीख 21 जनवरी, 2010 को अपने लिखित रूप से किए गए कथन, दोनों द्वारा किए गए निवेदनों और उनके लिखित निवेदन तारीख 5 मार्च, 2010 पर सावधानीपूर्वक विचार किया है ।

15. जहां तक, श्री जॉन काचीरामोत्तम के नाम में जारी आक्षेपित सूचना (पुस्तिका) के मुद्रण, प्रकाशन और वितरण तथा पाप जान पाल द्वितीय के साथ उनके चित्र का वर्णन करने वाले फोटो केलैंडर से संबंधित केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निष्कर्षों पर श्री थामस के निवेदनों का प्रभाव डालने का संबंध है, आयोग उस पर विचार नहीं कर सकता ।

16. संपूर्ण गत वर्षों के दौरान आयोग द्वारा अपनाया गया संगत दृष्टिकोण यह रहा है कि 1951- अधिनियम की धारा 8क के अधीन कार्यवाहियों में आयोग के समक्ष न्यायालय के निष्कर्षों को प्रश्नगत या अभ्यक्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के

निष्कर्षों पर निर्णय में आसीन आयोग की कोटि में आएगा । आयोग, न्यायालयों के निष्कर्षों से उत्पन्न निरर्हता के प्रश्न पर विचार करते समय निर्वाचन याचिकाओं और निर्वाचन अपीलों में न्यायालयों के निष्कर्षों के पुनर्विलोकन की शक्तियों को स्वयं के लिए झूठा दावा नहीं कर सकता ।

17. वर्तमान मामले में, केरल उच्च न्यायालय ने 2004 की निर्वाचन याचिका सं. 1 में तारीख 31 अगस्त, 2006 के अपने निर्णय और आदेश में सुस्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

> ".....अतः, मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि जबकि प्रदर्श पी 1 (श्री जान काची रामोलम के नाम में ऊपर उल्लिखित सूचना) प्रथम प्रत्यर्थी (श्री थामस) के पक्ष में उसके धर्म के आधार पर मत डालने के लिए कैथोलिक मतदाताओं के लिए स्वतंत्र रूप से ऐसी अपील का गठन करता है, जिस पर अधिनियम की धारा 123(3) की रिष्टि लागू होती है । प्रदर्श-पी 2 (पूर्वोक्त कैलेंडर) प्रदर्श पी-1 को साबित करता है, उसका समर्थन करता है और उसे बल देता है ।
>
> .....ऊपर पाए गए साबित तथ्य ये हैं कि प्रथम प्रत्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता ने प्रदर्श पी-1 और पी-2 के मुद्रण के लिए व्यवस्था की थी, पहले प्रत्यर्थी ने मुद्रण प्रभारों का संदाय किया था और निर्वाचन अभिकर्ता ने प्रथम प्रत्यर्थी के निर्वाचन कार्यालयों में प्रदर्श पी-1 और पी-2 की मुद्रित प्रतियों के बंडल वितरित किए थे । तत्पश्चात्, प्रथम प्रत्यर्थी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐसे निर्वाचकों के घरों में, जो कैथोलिक हैं, प्रदर्श पी 1 और पी 2 की मुद्रित प्रतियां वितरित की थीं । उन साबित तथ्यों से केवल यह अनुमान लगाना संभव है कि प्रथम प्रत्यर्थी के पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्श पी-1 और पी-2 की मुद्रित प्रतियों का परिचालन प्रथम प्रत्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता की जानकारी और सम्मति से किया गया था । वास्तव में, इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि प्रदर्श पी-1 और पी-2 प्रथम प्रत्यर्थी के समुदाय और धर्म के आधार पर मत के लिए अपील गठन का करते हैं, प्रथम प्रत्यर्थी और उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से निर्वाचकों में प्रदर्श पी-1 और पी-2 के परिचालन का सबूत अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है.....।

..... उपरोक्त निष्कर्षों पर भरोसा करते हुए मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि प्रथम प्रत्यर्थी ने निर्वाचकों में आदर्श पी-1 और पी-2 के मुद्रण और परिचालन के माध्यम से अपने समुदाय और धर्म के आधार पर मत डालने के लिए निर्वाचकों से अपील करके अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया है । परिणामतः, उनका निर्वाचन अधिनियम की धारा 100(1)(ख) के अधीन शून्य घोषित किए जाने के लिए दायी है ।"

18. केरल उच्च न्यायालय के उपरोक्त निष्कर्षों को मान्य ठहराते हुए उच्च न्यायालय ने श्री थामस द्वारा फाइल की गई 2006 की सिविल अपील सं. 6033 में 4 सितंबर, 2009 के अपने निर्णय और आदेश में यह अभिनिर्धारित किया है कि :-

"29. ऊपर उल्लिखित सुस्थापित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके, हम हमारी यह पुष्टि हो गई है कि उच्च न्यायालय ने इस विषय के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन और निर्धारण करने में कोई गंभीर त्रुटि नहीं की है । निर्वाचन याची और अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की समग्रता पर विचार करने पर हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि निर्वाचन याची ने अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए अकाट्य, संतोषजनक और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है ।"

19. इस प्रकार वर्तमान कार्यवाहियों में, आयोग से, केवल इन दो प्रश्नों पर अर्थात् क्या श्री थामस, जिन्हें केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा 1951-अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है, को (i) निरर्हित किया जाना चाहिए, और (ii) यदि हां तो, कितनी अवधि के लिए, अपनी राय देने की अपेक्षा की जाती है । 1951-अधिनियम की धारा 8क(1) के परंतुक के अधीन निरर्हता की ऐसी अवधि उस तारीख से, जिसको उसे दोषी पाए जाने का न्यायालय का आदेश प्रभावी होता है, छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकती । वर्तमान मामले में ऐसी तारीख 4 सितंबर, 2009 अर्थात् वह तारीख होगी, जिसको उच्च न्यायालय ने अपना अंतिम निर्णय दिया था और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश तारीख 31 अक्तूबर, 2006 के प्रवर्तन पर रोक लगाने वाले उसके पूर्वतर अंतरिम आदेश तारीख 24 नवंबर, 2006 को रद्द किया था ।

20. उपरोक्त प्रश्नों पर विचार करते समय, आयोग का सीमित कार्य किए गए भ्रष्ट आचरण की प्रकृति, विस्तार और गंभीरता की जांच करना है, भले ही कोई ऐसी शमनकारी या लघुकारी परिस्थितियां विद्यमान क्यों न हो, जो एक तरफ कोई निरर्हता बिल्कुल ही अधिरोपित न करने या दूसरी तरफ छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हता के अधिरोपण या 1951 - अधिनियम की उक्त धारा 8क(1) के परंतुक के अधीन यथा अनुज्ञेय किसी अल्पतर अवधि को न्यायोचित ठहराएं । इस प्रकार आयोग को यह देखना है कि क्या श्री थामस अपने पक्ष में कोई ऐसी शमनकारी या लघुकारी परिस्थितियां दर्शाने में समर्थ रहे हैं ।

21. श्री थामस केरल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा 1951 - अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन अपने समुदाय और धर्म के आधार पर अपील करने के भ्रष्ट आचरण के दोषी पाए गए हैं । धारा 123(3) के उपबंधों को अधिनियमित करने के प्रयोजन को अंतर्निहित करने पर जोर देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने रमेश यशवंत प्रभु बनाम प्रभाकर काशीनाथ कुन्ते और अन्य [(1996)1एससीसी 130] में यह संप्रेक्षण किया था कि उद्देश्य यह "सुनिश्चित करना है कि कोई अभ्यर्थी निर्वाचन में केवल अपने धर्म के कारण मत प्राप्त न करें और किसी भी अभ्यर्थी को उसके धर्म के आधार पर किसी भी मत से वंचित न किया जाए ।" यह भारतीय शासन प्रणाली के धर्म निरपेक्ष स्वरूप और हमारी सांविधानिक स्कीम में धर्म पर आधारित पृथक निर्वाचकमंडलों की स्कीम की अस्वीकृति के अनुरूप है । उच्चतम न्यायालय ने उसी मामले में यह और संप्रेक्षण किया था कि धारा 123(3) में अधिरोपित निर्बन्धन धर्म निरपेक्ष शासन प्रणाली में, 'शिष्टता' के हित में है । पूर्व में, इस कारण को स्पष्ट करते हुए कि निर्वाचनों में धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अपीलें भर्त्सना करने योग्य और एक भ्रष्ट आचरण क्यों समझी जाती हैं, उच्चतम न्यायालय ने जियाउद्दीन बुरुहनद्दीन बुखारी बनाम ब्रिजमोहन रामदास मेहरा (एआईआर 1975 एससी 788) में यह संप्रेक्षण किया था कि "हमारे संविधान निर्माताओं का आशय निश्चय ही ऐसे धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना था, जिसकी आबद्धकर भावना को संविधान की प्रस्तावना में उपवर्णित उद्देश्यों द्वारा संक्षेप में दोहराया गया है । ऐसी कोई लोकतांत्रिक, राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था, जिसमें स्वतंत्रता की दशाएं और सभी के लिए उनका प्रगतिशील विस्तार सभी क्रियाकलापों के कुछ विनियमन को अनिवार्य बनाती है, उन मूलभूत तत्वों पर करार के बिना सहन

नहीं की जा सकती हैं, जो धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, संस्कृति, पंथ और भाषा में सभी भिन्नताओं के बावजूद नागरिकों को एकसूत्र में नहीं बांध सकती हैं । हमारे राजनैतिक इतिहास ने विशिष्टतया यह आवश्यक बना दिया है कि ये भिन्नताएं, जो लोगों को उनके विवेकशील विचार और कार्रवाई की शक्तियों से वंचित करते हुए शक्तिशाली मनोभावो को उत्पन्न करती हैं, का शोषण न होने दिया जाए, कहीं ऐसा न हो कि इसके कारण लोकतात्रिक स्वतंत्रताओं के परिरक्षण के लिए अनिवार्य दशाएं गड़बड़ा जाएं । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 123 की उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (3क) इस प्रकार अधिनियमित की गई थीं, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया से उन विघटनकारी तत्वों की अपीलों को समाप्त किया जा सके, जो ऐसी अविवेकी भावनाओं को जगाती हैं, जो हमारे संविधान की और वास्तव में, किसी सभ्य राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के अनुरूप हैं ।"

22. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त संप्रेक्षणों का सम्यक् रूप से सम्मान करते हुए ऐसी कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि कोई व्यक्ति जो धारा 123(3) के अधीन किसी भ्रष्ट आचरण में संलिप्त है, निर्वाचनों को लड़ने के लिए निरर्हित होने का पात्र है और तद्नुसार श्री थामस को निरर्हित किया जाना चाहिए ।

23. पहले प्रश्न का विनिश्चय किए जाने पर कि श्री थामस को निरर्हित किया जाना चाहिए, प्रश्न विनिश्चत किए जाने के लिए बचता है कि उसे कितनी अवधि के लिए निरर्हित किया जाना चाहिए ।

24. विधि के अधीन यथा उपबंधित छह वर्ष की अधिकतम अवधि से अन्यून निरर्हता अवधि की अपनी प्रार्थना के समर्थन में श्री थामस ने यह निवेदन किया था कि यद्यपि उन्हें उनके समर्थन के लिए कैथोलिकों को अपील करने का दोषी पाया गया है, वे न केवल ईसाई समुदाय के लिए कार्य कर रहे है, बल्कि सच्ची धर्म निरपेक्ष भावना में सभी अन्य धार्मिक समुदायों के मामले का भी समर्थन कर रहे हैं, जैसे सबरीमाला और ऐरुमेली तक रेल लिंक की मांग करना, जिसे हिन्दू और मुस्लिम समुदायों के हजारों तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं, श्री नारायण गुरू, उच्च कोटि के समाज सुधारक को सम्मान देने की मांग करना, संपूर्ण भारत में डा.बी.आर.अम्बेडकर को सम्मान दिलवाने के लिए प्रयास करना, केरल में हिन्दू नेता की हत्या का मुद्दा संसद् में उठाना, हज तीर्थ यात्रियों के

लिए अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयास करना, डाक विभाग में महिला कर्मकारों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करना, केरल में नायर समुदाय के उच्च स्तर के नेता श्री मन्नाथु पदमनाभन के सम्मान में केरल में केन्द्रीय विश्वविद्यालय आरंभ करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना, उड़ीसा के आदिवासियों पर अत्याचार के मुद्दों को उठाना, आदि । उसके परिणामस्वरूप, उन्होंने एक सच्चे धर्म निरपेक्षतावादी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । उन्होंने अपने उपरोक्त निवेदनों को सिद्ध करने के लिए कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए हैं ।

25. उन्होंने यह और निवेदन किया कि वे 1989 से पिछले छह साधारण निर्वाचनों के दौरान उसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लगातार छह बार निर्वाचित अभ्यर्थी के रूप में निर्वाचित होते रहे थे और उन्होंने वर्ष 2004 में पिछले साधारण निर्वाचन, 2004 के सिवाय, उन निर्वाचनों को भारी अंतर से जीता था, जहां यद्यपि उनकी जीत का अंतर कम था, उन्होंने केरल में मुख्य यूनाइटेड फ्रंट के अभ्यर्थियों को हराया था । उन्होंने यह भी निवेदन किया कि इस तथ्य के बावजूद भी कि वे अप्रैल-मई 2009 में लोक सभा के गत साधारण निर्वाचन के समय निर्वाचन लड़ने के लिए निरर्हित नहीं हुए थे, उन्होंने स्वेच्छया से वह निर्वाचन नहीं लड़ा था, यद्यपि उनकी अपील अभी भी उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है और केरल उच्च न्यायालय के निष्कर्ष तब तक निश्चायक नहीं बने थे ।

26. उन्होंने यह और निवेदन किया कि उन्हें 31 अक्तूबर, 2006 को केरल उच्च न्यायालय द्वारा पद से हटा दिया गया था और यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने 24 नवंबर, 2006 को उस आदेश पर रोक लगाई थी, संसद् सदस्य द्वारा कोई वेतन तथा भत्ता और सामान्यतः उपभोज्य अन्य परिलब्धियां प्राप्त करने के लिए उन्हें उच्चतम न्यायालय के उस रोक आदेश द्वारा अनुज्ञात नहीं किया था और उन्हें केरल से दिल्ली तक और सत्रावधियों के दौरान अपने निर्वाचन क्षेत्र में वापस यात्रा, आदि पर अपनी ही जेब से भारी खर्च उपगत करना पड़ा था ।

27. केरल उच्च न्यायालय के सुस्पष्ट निष्कर्षों को, जैसे उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि श्री थामस ने 1951 अधिनियम की धारा 123(3) के अधीन भ्रष्ट आचरण किया है और श्री थामस के उपरोक्त निवेदनों को भी ध्यान में रखते हुए और स्थिति की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, आयोग की यह सुविचारित राय है कि न्याय के उद्देश्यों और साम्या की उचित रूप से

पूर्ति तभी हो पाएगी, यदि श्री थामस को राष्ट्रपति के आदेश की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित कर दिया जाए ।

28. तद्नुसार, निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8क की उपधारा (3) के अधीन माननीय राष्ट्रपति को अपनी यह राय देता है कि श्री पी.सी. थामस को राष्ट्रपति के आदेश की तारीख से तीन (3) वर्ष की अवधि के लिए उक्त धारा 8क की उपधारा (1) के अधीन निरर्हित किया जाना चाहिए ।

ह0/-	ह0/-	ह0/-
(वी0 एस0 संपत)	(नवीन बी. चावला)	(डा. एस0 वाई0 कुरैशी)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली, तारीख : 9 अप्रैल, 2010

[फा. सं. एच-11026(1)/2010-विधायी II]

एन. के. नम्मूतिरी, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2010

S.O. 1215(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

New Delhi, the 19th May, 2010

Whereas, the Hon'ble High Court of Kerala in its judgement dated the 31st October, 2006 on Election Petition No. 1 of 2004, *inter alia*, declared the election of the first respondent, i.e. Shri P.C. Thomas, the returned candidate, to the House of the People from No. 12-Muvattupuzha Parliamentary Constitutency in the election held on the 10th May, 2004 to be void and further declared the petitioner, i.e. Shri P.M. Ismail elected in the place of the first respondent i.e. Shri P. C. Thomas from the same constituency;

And whereas on a civil appeal No. 5033 of 2006 filed by the Appellant, Shri P.C. Thomas, the Supreme Court, in paragraph 29 of its Judgement dated the 4th September, 2009 has, *inter alia*, held as under:-

"...On consideration of the evidence in its totality, adduced by the

election petitioner and the appellant, we agree with the High Court that the election petitioner has adduced cogent, satisfactory and reliable evidence to establish the charge against the appellant under section 123(3) of the Act."; and the Hon'ble Supreme Court in paragraph 31 of its judgement, *inter alia*, further observed as under:-

"...we see no merit in this appeal. The same is dismissed accordingly but in the circumstances of the case, we make no order as to costs in this appeal.";

And whereas the President sought the opinion of the Election Commission on the 27th November, 2009 under sub-section (3) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951) [hereafter referred to as the said Act], on the question whether Shri P.C. Thomas (former Member of Lok Sabha) should be disqualified under sub-section (1) of section 8A of the said Act, and if so, for what period;

And whereas the reference arises in pursuance of the judgement dated 4th September, 2009 of the Hon'ble Supreme Court of India in the Election Appeal (Civil Appeal No. 5033 of 2006-P.C. Thomas Vs. P.M. Ismail and others) by which the Hon'ble Supreme Court upheld the judgement dated the 31st October, 2006 of the High Court of Kerala in Election Petition No. 1 of 2004 (P.M. Ismail Vs. P.C. Thomas and others) in which the election of Shri P.C. Thomas to the 14th Lok Sabha had been challenged, on the grounds of corrupt practice under sub-sections (3) and (5) of section 123 of the said Act;

And whereas the Election Commission, having regard to the unequivocal findings of the Kerala High Court as upheld by the Hon'ble Supreme Court that Shri P.C. Thomas committed a corrupt practice under section 123(3) of the said Act as also the submission made by Shri P.C. Thomas and after taking into account the entirety of the situation, is of the considered opinion that the ends of justice and equity would be fairly met if Shri P.C. Thomas is disqualified for a period of three years from the date of the Order of the President;

And whereas the Election Commission tendered its opinion (Opinion of the Election Commission annexed as Annexure to this Order) under sub-section (3) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 that Shri P.C. Thomas should be disqualified under sub-section (1) of the said section 8A for a period of three years from the date of the Order of the President;

Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, having regard to the aforesaid opinion of the Election Commission and in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951, do hereby determine that Shri P.C. Thomas stand disqualified for a period of three years from the date of this Order as published in the Official Gazette.

PRESIDENT OF INDIA

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

NIRVACHAN SADAN
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

Election Commission of India

BEFORE THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

CORAM:

(V.S.SAMPATH)	(NAVIN B. CHAWLA)	(DR. S.Y.QURAISHI)
ELECTION COMMISSIONER	CHIEF ELECTION COMMISSIONER	ELECTION COMMISSIONER

Reference Case No. 1(RPA) of 2009

[Reference from the President of India under Section 8A(3) of the Representation of the People Act, 1951.]

In re: Disqualification of Shri P.C. Thomas, former Member of 14th Lok Sabha from Muvattupuzha parliamentary constituency in Kerala.

Opinion

This is a reference from the President of India seeking the opinion of the Election Commission under sub-section (3) of Section 8A of the Representation of the People Act, 1951 (for short '1951-Act'), on the question whether Shri P. C. Thomas (former Member of Lok Sabha) should be disqualified under sub-section (1) of Section 8A of the said 1951-Act, and, if so, for what period.

2. The reference arises in pursuance of the judgment dated 4th September, 2009 of the Supreme Court in the Election Appeal (Civil Appeal No. 5033 of 2006- P.C. Thomas Vs. P.M. Ismail and others) by which the Supreme Court upheld the judgment dated 31st October, 2006 of the High Court of Kerala in Election Petition No. 1 of 2004 (P.M. Ismail Vs. P.C. Thomas and others). In the Election Petition before the High Court of Kerala, the petitioner (Sh. P.M. Ismail) had challenged the election of Sh. P.C. Thomas to the 14th Lok Sabha from 12 – Muvattupuzha Parliamentary Constituency of Kerala in 2004, on the ground of corrupt practices under sub-sections (3) and (5) of Section 123 of the 1951-Act.

3 The main allegations in the Election Petition were:

(i) The agents and workers of Shri Thomas, with his consent, printed, published and distributed an election notice/pamphlet which described Shri Thomas as a leader of Catholic community and which sought support and prayers for him, and also a calendar in which the picture of the Pope John Paul II was printed alongwith the photo of Shri Thomas attending the beatification ceremony of Mother Teresa, amounting to corrupt practice under Section 123(3) of the 1951-Act.

(ii) The workers of Shri Thomas hired vehicles, with his consent, for free conveyance of electors on poll day, a corrupt practice under section 123(5) of the 1951-Act.

4. The High Court of Kerala, vide its order dated 31st October, 2006, held Shri Thomas guilty of corrupt practices on both the above grounds and set aside his election from 12–Muvattupuzha P.C. of Kerala in 2004. For ease of reference, it is useful to reproduce below the said sub-sections (3) and (5) of the said section 123 of the 1951-Act;

" 123. Corrupt practices. – The following shall be deemed to be corrupt practices for the purpose of this Act:-

x x x x x x x x

(3) The appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting for any person on the ground of his religion, race, caste, community or language or the use of, or appeal to religious symbols or the use of, or appeal to, national symbols, such as the national flag or the national emblem, for the furtherance of the prospects of the election of that candidate or for prejudicially affecting the election of any candidate:

Provided that no symbol allotted under this Act to a candidate shall be deemed to be a religious symbol or a national symbol for the purposes of this clause.

x x x x x x x x

(5) The hiring or procuring, whether on payment or otherwise, of any

vehicle or vessel by a candidate or his agent or by any other person [with the consent of a candidate or his election agent, or the use of such vehicles or vessel for the free conveyance] of any elector (other than the candidate himself, the members of his family or his agent) to or from any polling station provided under section 25 or a place fixed under sub-section (1) of section 29 for the poll:

Provided that the hiring of a vehicle or vessel by an elector or by several electors at their joint costs for the purpose of conveying him or them to and from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause if the vehicle or vessel so hired is a vehicle or vessel not propelled by mechanical power:

Provided further that the use of any public transport vehicle or vessel or any tramcar or railway carriage by any elector at his own cost for the purpose of going to or coming from any such polling station or place fixed for the poll shall not be deemed to be a corrupt, practice under this clause.

Explanation - In this clause, the expression" vehicle" means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport, whether propelled by mechanical power or otherwise and whether used for drawing other vehicles or otherwise."

5. Shri Thomas filed an election appeal before the Supreme Court against the High Court's order dated 31st October 2006. Admitting the appeal, the Supreme Court, on 24th November 2006, granted conditional stay against the High Court's Order, permitting Shri Thomas to attend the Parliament Sessions but without voting right and without drawing any emoluments.

6. The Supreme Court, vide its final order 4th September, 2009, upheld the decision of the High Court and dismissed the appeal of Shri Thomas. In the final order, the Supreme Court held as follows:

"... On consideration of the evidence in its totality, adduced by the election petitioner and the appellant, we agree with the High Court that the election petitioner has adduced cogent, satisfactory and

reliable evidence to establish the charge against the appellant under Section 123(3) of the Act."

7. On the second issue of corrupt practice under section 123(5), the Supreme Court held that in view of the finding on the first issue, it was not necessary to go into the second issue.

8. The President of India has sought the opinion of the Commission on 27th November, 2009 in terms of Section 8A (3) of 1951-Act, on the question whether Shri Thomas should be disqualified, and if so, for what period.

9. Section 8A of the Representation of the People Act, 1951 is reproduced below:

"8A. Disqualification on ground of corrupt practices.

(1) The case of every person found guilty of a corrupt practice by an order under section 99 shall be submitted, as soon as may be after such order takes effect, by such authority as the Central Government may specify in this behalf, to the President for determination of the question as to whether such person shall be disqualified and if so, for what period:

Provided that the period for which any person may be disqualified under this sub- section shall in no case exceed six years from the date on which the order made in relation to him under section 99 takes effect.

(2) Any person who stands disqualified under section 8A of this Act as it stood immediately before the commencement of the Election Laws (Amendment) Act, 1975, (40 of 1975) may, if the period of such disqualification has not expired, submit a petition to the President for the removal of such disqualification for the unexpired portion of the said period. [This sub-section is now no longer applicable.]

(3) *Before giving his decision on any question mentioned in sub-section (1) or on any petition submitted under sub- section (2), the*

President shall obtain the opinion of the Election Commission on such question or petition and shall act according to such opinion."

10. Thus, the opinion to be tendered by the Commission is on the twin questions (i) whether there should be any disqualification imposed on Sh. Thomas, and (ii) if so, what should be the period of disqualification.

11. The Commission issued notice to Shri Thomas on 23rd December 2009 asking him to file his written statement and also fixed a hearing in the matter on 26th February 2010. Shri Thomas, in his written statement, submitted that he had won six Lok Sabha elections continuously from the same constituency since 1989 with huge margins and had defeated Sh. Ismail (the Election Petitioner) in 1991 also. He submitted that none of his earlier elections victories was based on communal considerations. He further pleaded the following as mitigating circumstances for taking a lenient view considering the nature, extent and gravity of the corrupt practice under Section 123(3):

a. The election notice/pamphlet in question did not contain any references derogatory to any other person, including the opponent candidates, or any religious community. The notice also did not seek vote on the basis of religion.

b. The pamphlet and its contents were not authored by him, but by a third person (Shri John Kachiramattom). His consent for the notice and the contents thereof have not been found by the Supreme Court.

c. The pamphlet did not contain a direct request for votes on the basis of his religion/community. The notice only requested for 'prayer support' for him and not for votes.

d. At the trial, the election petitioner's allegation of printing of the notice at his behest was denied by the owner of the press (where the notice was alleged to be printed). The evidence adduced for distribution of Exhibit-P1 only pointed to distribution in a very limited area in the large constituency of more than ten lakh voters.

e. The pamphlet only brought out the services rendered by him to his constituency and constituents as their representative and the activities highlighted therein were mostly reported in the media on different occasions in the past.

f. The Supreme Court did not go into the allegation of corrupt practice under Section 123(5). It is a fact that the allegation regarding this corrupt practice itself was limited to a very small area in the constituency.

12. At the hearing on 26th February, 2010, Sh. Thomas appeared in person. His submissions, most of which were already put down in his written submissions, were as follows:

(i) He has contested and won the election six times from Muvattupuzha parliamentary constituency, the first five with handsome margin. At the last election of 2004, he fought the election without being a part of the two major alliances of parties in Kerala, viz the UDF and the LDF, and still won the election although with a narrow margin. The consistent election victories is an indication of his popularity and acceptability among the electors, and these are not on account of any religious or communal consideration.

(ii) He has never played any religious/communal card to win election. His visit to Madhya Pradesh to help the Christian missionaries who were attacked which was mentioned in the notice referred to in the election petition was a fact that was reported in the media at the relevant time. The visit was not something that was undertaken in the context of election.

(iii) He has raised issues related to people belonging to other religions as well. He mentioned and referred to some of the causes he had taken up as member of Parliament for improving facilities at the Sabarimala Shrine, for the Haj pilgrims and for the shrine at Ajmer,

etc. He submitted that his past activities and conduct prove his secular credentials.

(iv) The notice/pamphlet which was held to be incriminating document in the order of the High Court and by the Supreme Court, only listed out the good work he had done in the past. He submitted that this was not printed with his consent. Even going by the allegation in the election petition, only 50000 copies of the notice were printed, which, in a constituency of over ten lakhs voters is an insignificant number, and only about 5 persons stated that they got the notice/pamphlet.

(v) He did not contest the last parliamentary election in April-May, 2009, in view of the judgment of the High Court in the election petition, though the appeal against the same was still pending before the Supreme Court. Thus, he has already suffered the consequence in one general election.

(vi) He performed the duties of MP for the major part of his term, starting from November, 2006, without receiving any salary/emoluments/allowances.

13. On the above grounds, Shri Thomas submitted that he should be spared from disqualification, or, at least, the disqualification if imposed, should be limited to a short period. Shri Thomas was permitted to file his written arguments within a week, which he did on 5th March 2010, reiterating his aforesaid oral submissions.

14. The Commission has carefully considered the submissions made by Shri P.C.Thomas – both, orally at the time of the hearing on 26th February 2010 as well as, in writing, by his written statement dated 21st January 2010 and his written submission dated 5th March 2010.

15. In so far as the submissions of Shri Thomas touching upon the findings of the Kerala High Court and Supreme Court relating to printing, publication and

distribution of the impugned notice (pamphlet) issued in the name of Shri John Kachiramattom and a photo calendar depicting his picture with Pope John Paul II are concerned, the Commission cannot go into the same.

16. The consistent view taken by the Commission all through the past years has been that the findings of the Court cannot be questioned or assailed before the Commission in the proceedings under section 8A of the 1951-Act, as that would amount to the Commission sitting in judgement over the findings of the High Courts or the Apex Court. The Commission cannot arrogate to itself, the powers of the review of findings of the Courts in election petitions and election appeals, while considering the question of disqualification arising out of such findings of the Courts.

17. In the present case, the Kerala High Court, in its Judgement and order dated 31st October 2006 in Election Petition No. 1 of 2004, has unequivocally held that:

> ".....therefore, I hold that while Ext. P1 (the afore mentioned notice in the name of Shri John Kachiramattom) independently constitutes an appeal to catholic voters to vote for first respondent (Shri Thomas) on the ground of his religion attracting the mischief of Section 123(3) of the Act, Ext. P2 (the aforesaid calendar) proves, supports and strengthens Ext. P1.
>
> .....The proved facts found above are that election agent of the first respondent arranged for priting of Exts. P1 and P2, the first respondent paid printing charges and the election agent distributed the bundles of printed copies of Exts. P1 and P2 in the election offices of the first respondent. Thereafter the party workers of the first respondent distributed printed copies of Exts. P1 and P2 in the houses of electors who are Catholics. From these proved facts, the only inference possible is that circulation of printed copies of

Exts.P1 and P2 by the party workers of the first respondent is with the knowledge and consent of the first respondent and his election agent. In fact in view of the finding that Exts. P1 and P2 constitute appeal to vote on the ground of community and religion of the first respondent, the proof of circulation of Exts. P1 and P2 among electors with the consent of the first respondent and his election agent is sufficient to establish corrupt practice under Section 123(3) of the Act. .....

.....

Based on the above findings, I hold that the first respondent has committed corrupt practice under Section 123(3) of the Act by appealing to the electors to vote on the ground of his community and religion through printing and circulation of Exts. P1 and P2 among the electors. Consequently, his election is liable to be declared void under Section 100(1)(b) of the Act."

18. While upholding the above findings of the Kerala High Court, the Supreme Court, in its Judgement and order dated 4th September 2009 in Civil Appeal No. 5033 of 2006 filed by Shri Thomas, has held that -

"29 Having examined the material on record in the light of the afore-noted settled principles, we are convinced that the High Court has not committed any grave error in the appreciation and assessment of the evidence on the point. On consideration of the evidence in its totality, adduced by the election petitioner and the appellant, we agree with the High Court that the election petitioner has adduced cogent, satisfactory and reliable evidence to establish the charge against the appellant under Section 123(3) of the Act."

19. Thus, in the present proceedings, the Commission is required to tender its opinion only on twin questions, namely, whether Shri Thomas, who has been

found guilty of corrupt practice under Section 123(3) of the 1951-Act by the Kerala High Court and Supreme Court, (i) should be disqualified, and (ii) if so, for what period. Under the proviso to Section 8A (1) of the 1951-Act, such period of disqualification cannot exceed six years from the date on which the order of the Court finding him guilty takes effect. In the present case, such date will be 4th September 2009, i.e., the date on which the Supreme Court gave its final decision and whereby its earlier interim order dated 24th Nov. 2006 staying the operation of the High Court's order dated 31st October 2006, stood vacated.

20. While considering the above questions, the Commission's limited function is to look into the nature, extent and gravity of the corrupt practice committed and whether there are any mitigating or extenuating circumstances which may justify either the imposition of no disqualification at all, as one extreme, or the imposition of disqualification for a period of six years, as the other extreme, or a lesser period as permissible under the proviso to said Section 8A (1) of 1951-Act. The Commission has thus to see whether Shri Thomas has been able to show any such mitigating or extenuating circumstance in his favour.

21. Shri Thomas has been found guilty by the Kerala High Court and Supreme Court of corrupt practice of making appeal on the ground of his community and religion under 123(3) of the 1951 Act. Stressing upon the underlying purpose of enacting the provisions of section 123(3), the Supreme Court observed in *Ramesh Yeshwant Prabhoo Vs. Prabhakar Kashinath Kunte and others* [(1996) 1 SCC 130] that the object is *"to ensure that no candidate at an election gets votes only because of his religion and no candidate is denied any votes on the ground of his religion. This is in keeping with the secular character of the Indian polity and rejection of the scheme of separate electorates based on religion in our constitutional scheme."* The Supreme Court further observed in that case that the restriction imposed in Section 123(3) is in the interest of 'decency' in a secular polity. Earlier, explaining the reason why appeals on the ground of religion, race, caste, community or language in elections are considered reprehensible and a corrupt practice, the Supreme Court observed in *Ziauddin Burhanuddin Bukhari*

vs. Brijmohan Ramdass Mehra (AIR 1975 SC 1788) that *"our constitution makers certainly intended to set up Secular Democratic Republic the binding spirit of which is summed up by the objectives set forth in the preamble to the Constitution. No democratic political and social order, in which the conditions of freedom and their progressive expansion for all make some regulation of all activities imperative, could endure without an agreement on the basic essentials which could unite and hold citizens together despite all the differences of religion, race, caste, community, culture, creed, and language. Our political history made it particularly necessary that these differences, which can generate powerful emotions, depriving people of their powers of rational thought and action, should not be permitted to be exploited lest the imperative conditions for the preservation of democratic freedoms are disturbed. It seems to us that s 123, sub-ss (2), (3) and (3A) were enacted so as to eliminate, from the electoral process, appeals to those divisive factors which arouse irrational passions that run counter to the basic tenets of our Constitution, and, indeed, of any civilized political and social order."*

22. In due deference to the above observations of the Apex Court, there can be no two opinions that one who indulges in any corrupt practice under Section 123(3) deserves to be disqualified for contesting elections and, accordingly, Shri Thomas should be disqualified.

23. Having decided the first question that Shri Thomas should be disqualified, the question remaining to be decided is for what period he should be disqualified.

24. In support of his prayer for a lesser period of disqualification than the maximum period of six years as provided under the law, Shri Thomas has submitted that though he has been found guilty of making an appeal to catholics for their support, he has been working not only for the Christian community but also espousing the cause of all other religious communities in true secular spirit, like, demanding a rail link to Sabrimala and Erumely which are visited by thousands of pilgrims of Hindu and Muslim Communities, demanding honoring of

Sri Narayana Guru, a social reformer of high stature, trying to have Dr. B.R.Ambedkar honored throughout India, raising the issue in Parliament of the murder of a Hindu leader in Kerala, making efforts to give more facilities for Haj Pilgrims, making efforts for improving the lot of women workers of the Postal Department, raising the important issue of starting a Central University in Kerala in the honour of Shri Mannathu Padmanabhan, a high profile leader of the Nair community in Kerala, raising the issue of atrocities on tribals in Orissa, and so on. Thereby, he attempted to portray himself as a true secular. He has also adduced some documents to substantiate his above submissions.

25. He further submitted that he had been returned as elected candidate from the same Parliamentary Constituency continuously six times during the last six general elections since 1989 and that he won those elections with huge margins, except the last general election in 2004 where though his winning margin was low, he defeated the candidates of two major united fronts in Kerala. He also submitted that despite the fact that he did not stand disqualified for contesting election at the time of the last general election to Lok Sabha, in April-May, 2009, he did not voluntarily contest that election though his appeal before the Supreme Court was still pending and the findings of the Kerala High Court had not become conclusive by then.

26. He further submitted that he was unseated by the Kerala High Court on 31st October 2006 and though the Supreme Court had stayed that order on 24th November 2006, he was not permitted by that stay order of the Supreme Court to draw any salary and allowances and other perquisites normally enjoyable by a Member of Parliament, and that he had to incur a lot of expenditure from out of his own pocket on his travel, etc., from Kerala to Delhi and back to his constituency during the session periods.

27. Having regard to the unequivocal findings of the Kerala High Court, as upheld by the Supreme Court, that Shri Thomas committed a corrupt practice under section 123(3) of the 1951-Act, as also the above submissions of Shri

Thomas, and after taking into account the entirety of the situation, the Commission is of the considered opinion that the ends of justice and equity would be fairly met if Shri Thomas is disqualified for a period of three (3) years from the date of the order of the President.

28. The Election Commission accordingly tenders its opinion hereby to the Hon'ble President under sub-section (3) of section 8A of the Representation of the People Act, 1951 that Shri P.C.Thomas should be disqualified under sub-section (1) of the said section 8A for a period of three (3) years from the date of the order of the President.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(V. S. SAMPATH)	(NAVIN B. CHAWLA)	(Dr. S. Y. QURAISHI)
ELECTION COMMISSIONER	CHIEF ELECTION COMMISSIONER	ELECTION COMMISSIONER

New Delhi, the 9th April, 2010.

[F. No. H-11026(1)/2010-Leg. II]
N. K. NAMPOOTHIRY, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.